Annexure – XXI

डा. आर. एस. टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त

सत्यमेव जयते

उत्तरांचल सूचना आयोग
सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779
फैक्स :
ई–मेल : rs_tolia@rediffmail.com

पत्रांक : 81 /उ.सू.आ./मु.सू.आ./2005
दिनांक : 22 दिसम्बर 2005

प्रिय श्री

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अधीन शासन द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के बाद रसीद निर्गत करने तथा लेखांकन की प्रक्रिया निर्धारित करने संबंधी वित्त (सामान्य वि. वेतन आ. अनुभाग 7 संख्या 01/ 27 (7)/2005 दिनांक 14.10.2005 का कृपया संदर्भ करें.

2. उक्त कार्यालय ज्ञाप के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त कोषागार रसीद सं. 385 पर रसीद निर्गत की जानी है. अपने हाल के फील्ड भ्रमण के दौरान की जा रही जानकारियों और आयोग में भी प्राप्त हो रहे पत्रों के आधार पर निम्न कार्यवाही को तात्कालिक प्रभाव से पड़े पैमाने पर किया जाना आवश्यक है.

2.1 प्रदेश के 55 विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक विभाग के द्वारा नामित लोक सूचना अधिकारियों, जो क्रमशः शासन स्तर, निदेशालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर भी नामित किये गये हैं उनमें से प्रत्येक को कोषागार प्रपत्र 385 की पर्याप्त संख्या में रसीद बहियां उपलब्ध करा दी जाय,

2.2 जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारियों/ कोषाधिकारियों के माध्यम से यह निरन्तर जानकारी की जाती रहे कि कोषागार और उप कोषागारों में कोषागार प्रपत्र 385 की कितनी प्रतियां स्टोर में उपलब्ध हैं और कितनी प्रतियां विभिन्न कार्यालयों के स्तर पर उपलब्ध करा दी गई हैं,

2.3 प्रत्येक वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी को यह उत्तरदायित्व दे दिया जाय कि वह निदेशक कोषागार को मासिक रूप में यह अवगत करायें कि सचिवालय, निदेशालयों, मण्डल कार्यालयों, जनपद कार्यालयों, विकास खण्ड कार्यालयों और ग्राम पंचायतों के स्तर पर माह के अन्त में कितनी कोषागार प्रपत्र 385 की रसीद बहियां उपयोग में आ रही थीं और इसका निरन्तर अनुश्रवण कर सुनिश्चित किया जाये कि ये प्रतियां पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध हैं. चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद से 5 बिन्दुओं पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं. अतः कोषागार निदेशालय के स्तर पर भी प्रत्येक जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी से यह जानकारी प्राप्त की जाय कि उनके क्षेत्रान्तर्गत कितने आहरण वितरण अधिकारियों के माध्यम से 55 विभागों के कितने लोक सूचना अधिकारियों को कोषागार प्रपत्र 385 की रसीद बहियां उपलब्ध करा दी गई हैं और उनकी हर स्तर पर स्टाक की

वर्तमान स्थिति क्या है? निदेशालय कोषागार स्तर पर आपको इस कोषागार प्रपत्र 385 की पर्याप्त बहियों की हर स्तर पर सतत उपलब्धता का भी अनुश्रवण करना होगा.

3. कृपया इन बिन्दुओं पर अपने स्तर पर की गई कार्यवाही से आयोग को प्रत्येक माह के संबंध में अगले माह की 10वीं तिथि तक अवगत कराना सुनिश्चित करें.

भवनिष्ठ,

(आर. एस. टोलिया)

श्री यशपाल सिंह
निदेशक
कोषागार एवं वित्त सेवायें
23 लक्ष्मी रोड, देहरादून

प्रतिलिपि :

प्रमुख सचिव, वित्त को इस आशय से पृष्ठांकित कि वह भी इस संबंध में कृपया निदेशक कोषागार को आवश्यक निर्देश भेजने का कष्ट करें और समय–समय पर अपने स्तर पर भी कोषागार प्रपत्र 385 की बहियां की सहज उपलब्धता प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी स्तर पर सुलभ होने की समीक्षा करने का कष्ट करें.

(आर. एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त